भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *226
जिसका उत्तर 7 अगस्त, 2024 को दिया जाना है ।
16 श्रावण, 1946 (शक)

वित्तीय साइबर अपराधों को गैर-जमानती श्रेणी के अंतर्गत लाना

***226. श्री विवेक ठाकुरः**

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वित्तीय साइबर अपराध से संबंधित सभी धाराएं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत जमानत योग्य धाराएं हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का इन धाराओं के अंतर्गत आने वाले अपराधों को गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में लाने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

वित्तीय साइबर अपराधों को गैर-जमानती श्रेणी के अंतर्गत लाने के संबंध में दिनांक 07.08.2024 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *226 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

*****

(क) से (घ) : सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") के अंतर्गत 18 धाराएँ हैं जो साइबर अपराधों के विभिन्न रूपों को कवर करती हैं, जिनमें से 6 अपराध गैर-जमानती हैं और 12 अपराध जमानती हैं। आईटी अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराधों का विवरण उनके दंडात्मक परिणामों के साथ **अनुबंध-I** में दिया गया है।

आईटी अधिनियम की धारा 77ख के अनुसार तीन वर्ष और उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा और तीन वर्ष के कारावास तक का दंडनीय अपराध जमानती होगा। इसके अलावा, पुलिस को आईटी अधिनियम की धारा 78 के तहत किसी भी अपराध की जांच करने का अधिकार है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ("एमईआईटीवाई") नियमित रूप से जनता और हितधारकों के साथ संपर्क करता है और उनसे इनपुट प्राप्त करता है, जिसमें मौजूदा कानून में आवश्यक परिवर्तन और नया कानून पेश करने की आवश्यकता भी शामिल है।

*****

अनुबंध-I

आईटी अधिनियम के तहत अपराध और उनके लिए दंडात्मक कार्रवाई

क्र.सं.	धारा सं.	अपराध	दंड	जमानती/संज्ञेय
1	65	कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़	3 वर्ष तक का कारावास या 2 लाख तक का जुर्माना या दोनों	जमानती, संज्ञेय
2	66	कंप्यूटर से संबंधित अपराध: धारा 43 में उल्लिखित किसी भी कार्य को बेईमानी या धोखाधड़ी से प्रत्यक्ष रूप से करने या किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित करने के लिए दंड, जैसे कि कंप्यूटर संसाधन में किसी भी जानकारी के साथ छेड़छाड़, नष्ट करना, विलोपन या परिवर्तन करके या किसी भी कंप्यूटर स्रोत कोड की चोरी / छुपाने / नष्ट करने के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के खाते तक अनधिकृत पहुंच या उपयोग, वायरस डालना, नुकसान पहुंचाना, बाधा डालना, पहुंच की मनाही, पहुंच में सहायता करना, गलत शुल्क लगाना	3 वर्ष तक का कारावास या 5 लाख तक का जुर्माना या दोनों	जमानती, संज्ञेय
3	66ख	चोरी किए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड	3 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों	जमानती, संज्ञेय
4	66ग	पहचान की चोरी, अर्थात इसका उपयोग करने के लिए दंड	3 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों	जमानती, संज्ञेय
5	66घ	कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी करने का दंड	3 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना	जमानती, संज्ञेय
6	66ङ	गोपनीयता के उल्लंघन के लिए दंड	3 वर्ष तक का कारावास या 2 लाख तक का जुर्माना या दोनों	जमानती, संज्ञेय
7	66च	साइबर आतंकवाद के लिए दंड	कारावास जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है	गैर-जमानती, संज्ञेय
8	67	इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने पर दंड	पहला अपराध - 3 साल तक कारावास और 5 लाख तक जुर्माना दूसरा अपराध - 5 साल तक कारावास और 10 लाख तक जुर्माना	जमानती, संज्ञेय

क्र.सं.	धारा सं.	अपराध	दंड	जमानती/संज्ञेय
9	67क	इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य आदि वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए दंड	पहला अपराध - 5 साल तक कारावास और 10 लाख तक जुर्माना दूसरा अपराध - 7 साल तक कारावास और 10 लाख तक जुर्माना	गैर-जमानती, संज्ञेय
10	67ख	इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्य आदि में चित्रित करने वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए दंड	पहला अपराध - 5 साल तक कारावास और 10 लाख तक जुर्माना दूसरा अपराध - 7 साल तक कारावास और 10 लाख तक जुर्माना	गैर-जमानती, संज्ञेय
11	69	किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी सूचना के अवरोधन या निगरानी या डिक्रिप्शन के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति (एजेंसी की सहायता करने में विफल रहने वाले माध्यस्थ को दंड)	7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना	गैर-जमानती, संज्ञेय
12	69क	किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति (ऐसे सरकारी निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहने वाले माध्यस्थ को दंड)	7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना	गैर-जमानती, संज्ञेय
13	69ख	साइबर सुरक्षा के लिए किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक डेटा या सूचना की निगरानी और संग्रह करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति (तकनीकी सहायता प्रदान न करके इरादतन या जानबूझकर उल्लंघन करने वाले माध्यस्थ को दंड)	1 वर्ष तक कारावास या 1 करोड़ तक जुर्माना या दोनों	जमानती, संज्ञेय

क्र.सं.	धारा सं.	अपराध	दंड	जमानती/संज्ञेय
14	70	महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई)/संरक्षित प्रणाली: किसी भी व्यक्ति को दण्ड दिया जाएगा जो सीआईआई से संबंधित किसी भी कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच प्राप्त करता है या पहुंच प्राप्त करने का प्रयास करता है और जिसे संरक्षित प्रणाली घोषित किया गया है	10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना	गैर-जमानती, संज्ञेय
15	70ख	सर्ट-इन: भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) घटना पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा (किसी भी ऐसे सेवा प्रदाता, माध्यस्थ, डेटा सेंटर आदि को दण्डित किया जाएगा, जो मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहता है या सर्ट-इन द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है)	1 वर्ष तक कारावास या 1 करोड़ तक जुर्माना या दोनों	जमानती, असंज्ञेय
16	71	प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक (सीसीए) या प्रमाणन प्राधिकारी के समक्ष गलत जानकारी देने पर दंड	2 वर्ष तक कारावास या 1 लाख तक जुर्माना या दोनों	जमानती, असंज्ञेय
17	73	कुछ विवरणों में झूठा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्रकाशित करने पर दंड	2 वर्ष तक कारावास या 1 लाख तक जुर्माना या दोनों	जमानती, असंज्ञेय
18	74	धोखाधड़ी के प्रयोजन से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के प्रकाशन के लिए दंड	2 वर्ष तक कारावास या 1 लाख तक जुर्माना या दोनों	जमानती, असंज्ञेय

*****